

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण नरिणय चर्चा में क्यों?

8 दसिंबर, 2021 को छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके नविस कार्यालय पर मंत्रपरिषद ने महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये ।

प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्ड पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न नःशुल्क वतिरण करने का नरिणय लिया । इस पर 223.58 करोड़ रुपए के व्ययभार की प्रतपूरति छत्तीसगढ राज्य नागरिक आपूर्तिनगिम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी ।
- छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णति पछिड़े विकासखंड श्रेणी 'द' में रियायती दर पर वभिगीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्क/ कषेत्र के लिये हस्तांतरति भूमि को छोड़कर) अवकिसति औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आवंटति किये जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन कया गया ।
- सोलर वदियुत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारति उद्योगों को उच्च प्राथमकितता की श्रेणी में शामिल कया गया । नजि भूमि पर उत्पादन किये जाने वाले काष्ठ पर आधारति उद्योग को प्राथमकितता उद्योग में शामिल कया गया ।
- औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदति की गई ।
- औद्योगिक नीति में पूर्व में कये गए संशोधनों को एक नवंबर, 2019 से प्रभावशील कये जाने का अनुमोदन दया गया । धान/चावल उपाजन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमकितता में शामिल कया गया ।
- स्वामी आत्मानंद अंगरेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शकिषक पद पर भरती के लिये बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय नविसी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का नरिणय लया गया ।
- खरीफ वपिणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में कसिनों से धान खरीदी के लिये पुराने जूट बारदानों की दर 18 रुपए प्रतनिग से बढ़ाकर 25 रुपए प्रतनिग नरिधारति करने तथा कसिनों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने संबंधी मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन कया गया ।
- आबकारी वभिग द्वारा आयोजति की जाने वाली आबकारी उप नरिषक के पद पर सीमति वभिगीय प्रतयोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिये छूट देते हुए आगामी सीमति वभिगीय प्रतयोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का नरिणय लया गया ।
- रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर नगिम कषेत्र में पूर्व में आवंटति शासकीय भूमि को एक रुपए प्रत वर्ग फीट की दर से आवंटति करने का नरिणय लया गया ।
- मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ वपिणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मलिंगि प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रत क्वटिल दये जाने की घोषणा की गई है ।
- छत्तीसगढ राज्य पछिड़ा आयोग अधनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन कया गया ।
- गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोठान समति में उत्पादति कमपोस्ट को सहकारी समतियों के माध्यम से नजि संस्था/फर्म को भी वकिरण के लिये सम्मलित करने तथा योजना के अंतर्गत प्रावधानति बजट में 0.5 प्रतशित प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दये जाने का नरिणय लया गया ।
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का वधिानसभा में उपस्थापन के लिये छत्तीसगढ वनियोग वधियक, 2021 का अनुमोदन कया गया ।